रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223134
CG-DL-E-18112020-223134

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/ कार्तिक 22, 1942
No. 590]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवंबर , 2020

सा.का.नि. 721(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में मनोरोग समाज कार्य के एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, मनोरोग समाज कार्य के एसोसिएट प्रोफेसर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2020 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मनोरोग समाज कार्य के एसोसिएट प्रोफेसर	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये)	चयन ।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तगर्त अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपए) में मनोरोग समाज कार्य के सहायक प्रोफेसर जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष कि	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)	प्रतिनियुक्ति (जिसके

नियमित सेवा की हो और जिन्होंने प्रशासन विभाग द्वारा विहित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तगर्त अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपए) या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: अनिवार्य: (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज-कार्य या समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री । (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोरोग समाज-कार्य में एम.फिल. । (3) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोरोग समाज-कार्य या समाज कार्य या समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र में डॉक्टरेट (पी.एचडी.) की डिग्री । (4) शिक्षण या अनुसंधान में पाचं वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम दो वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में मनोरोग समाज कार्य के सहायक प्रोफेसर के रूप में शामिल है । वांछनीय: (1) मनोचिकित्सा और परामर्श सेवा तकनीक में अनुभव । **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंगे अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी	निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. उप महानिदेशक (चिकित्सा), - अध्यक्ष; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 2. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), - सदस्य; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 3. निदेशक, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान - सदस्य । रांची	अन्तगर्त अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य है ।

में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

[फा. सं. ए.12018/69/2017-एमई]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020.

G.S.R. 721(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Associate Professor of Psychiatric Social Work in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Associate Professor of Psychiatric Social Work (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Associate Professor of Psychiatric Social Work.	1* (2020) * subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix. (Rs. 67700 – 208700).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion /deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Professor of Psychiatric Social Work in Level-10 of the pay matrix (Rs. 56100 – 177500) with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training in the field as prescribed by the administrative department. Deputation (including short term contract) : Officers under the Central Government or State Governments or Recognised Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department, or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-10 (Rs.56100-177500/-) of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; (b). Possessing the Educational Qualifications and experience as follows: Essential: 1. Master Degree in Social Work or Sociology or Applied Sociology from a recognised university or institute. 2.M.Phil. in Psychiatric Social Work from a recognised university or institute. 3. Doctorate Degree (Ph.D.) in Psychiatric Social Work or Social Work or Sociology or Applied Sociology from a recognised university or institute. 4. five years teaching or research experience including at least two years as Assistant Professor of Psychiatric Social Work in a recognised institution. Desirable: 1. Experience in Psychotherapy and Counseling techniques. Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Deputy Director General (Medical), Directorate General of Health Services - Chairman; 2. Director (Medical Education), Directorate General of Health Services - Member; 3. Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary to fill up the post by deputation (including short term contract).

closing date of the receipt of applications. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

[F. No. A.12018/69/2017-ME]
NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM